

¹[धारा 8क : साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहित नहीं किए गए या कम उद्ग्रहित किए गए उपकर की वसूली न करने की शक्ति]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि,—

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर संघ उपकर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और
- (ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं—
 - (i) उपकर, उन मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार उपकर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या नहीं किया गया है; या
 - (ii) उपकर की ऐसी रकम से उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, जो उक्त पद्धति के अनुसार उच्चतर रकम है,

सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण संघ उपकर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय रकम के आधिक्य में उपकर, यदि उक्त पद्धति न होती, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर उपकर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है।]

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा धारा 8क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।